C/P - 260/2021

21/8/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थीगण 1 के वकील उप. 3 के द्वारा प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू. राज. अधि. 1956 पर बहस की गई। एवं अप्रार्थी क्र. 7 का जवाब प्रा-पत्र का अवसर बन्द किया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 8/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

08/09/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी क्र. 1 के वकील उप. प्रार्थी का प्रा-पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 भू. राज. अधि 1956 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शामिल किया गया।

अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 260/2021

1. माल सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. महावीर सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत
2. नन्द सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत
3. लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण
4. केसरी मल शर्मा पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण
5. कन्हैया लाल शर्मा पुत्र मदन लाल जाति ब्राह्मण
6. रामेश्वरी खाती पत्नी गोपाल जाति खाती
   निवासीगण ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार किशनगढ़
8. सूरज कंवर पत्नि मूल सिंह जाति राजपूत
9. नीलू राठौड़ पुत्री मूल सिंह जाति राजपूत
10. मदन सिंह राठौड़ पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत
    निवासीगण ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

दिनांकः 08/09/2023

उपस्थितः श्री कुश कुमार सिंह — प्रार्थी अभिभाषक

श्री महावीर मालाकार — अप्रार्थी सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा जरिये वकील श्री कुश कुमार सिंह के माध्यम से अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी ख0नं0 1387/777 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है। उक्त कृषि आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त में तथा उपयोग उपभोग में चल रही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 आये दिन प्रार्थी को उक्त कृषि आराजी बाबत् धमकिया देते है तथा कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रार्थी प्रायः अपने कार्य से अपने गांव से बाहर जाता रहता है। प्रार्थी को इस बात का पूर्व अन्देशा है कि अप्रार्थीगण उसकी अनुपस्थिति में उसकी उपरोक्त कृषि आराजी पर नाजायज कब्जा करने की नियत रखते है तथा अप्रार्थीगण जंगली

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

जानवरो पशुओ से उसकी फसल को भी नुकसान करवाते रहते है तथा बिना किसी सूचना के जानबूझकर उसकी कृषि आराजी में पशु इत्यादि छोड देते है। प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2021 को अपनी कृषि आराजी का सीमाज्ञान भी करवाया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे अनुसार प्रार्थी की कृषि आराजी ख0नं0 1387/777 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर भूमि के अनुसार नक्शे के दर्शाये गये अड़ौस पड़ौस के खसरा नम्बरों के पड़ौसी खातेदार जिनका कि प्रार्थना पत्र के रूप में 1 लगायत 6 के रूप में पक्षकार प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जा शुदा काश्त आराजी की सुरक्षा के लिए पत्थरगढ़ी करवा कर उपरोक्त कृषि आराजी की सुरक्षा करना चाहता है। प्रकरण कारण दिनांक 12.03.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी के उपरोक्त पड़ौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि आराजी में जानबूझकर आवारा पशुओं को प्रार्थी की आराजी में चराने हेतु भेजने का प्रयास किया तथा प्रकरण कारण उस दिनांक को भी उत्पन्न हुआ जब दिनांक 01.06.2021 को पुलिस जाप्ता के साथ प्रार्थी की कृषि आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया तब अप्रार्थीगण के द्वारा सीमाज्ञान का विरोध किया तब से प्रकरण कारण लगातार सतत् है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये दिन प्रार्थी से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करते रहते है। अतः प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है के पत्थरगढ़ी आदेश जारी करने का निवेदन किया।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (**Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4**) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री महावीर मालाकार द्वारा एवं अप्रार्थी सं0 6 की ओर से वकील श्री हीरालाल जाट द्वारा वकालतनामा पेश करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 5 एवं 8 लगायत 10 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 7 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर उनका जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बन्द किया गया।

3.1 अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रारम्भिक आपत्ति के पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी एक मात्र प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की नहीं है वरन् राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदार नीलू राठौड़, मदन सिंह व सूरज कंवर के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजी है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त कृषि आराजी के कब्जे काश्त में कभी भी बाधा कारित नहीं की है। प्रार्थी व अन्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

सहखातेदार नीलू राठौड़, मदन सिंह राठौड़ व सूरज कंवर के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजी ख0नं0 1387/777 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 1 की ख0नं0 772, 773 की भूमि स्थित है। दिनांक 01.06.2021 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के बाद प्रार्थी कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी ख0नं0 1387/777 का एक मात्र खातेदार काश्तकार नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा ख0नं0 1387/777 का विधि अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है। दिनांक 12.03.2021 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ख0नं0 1387/777 की भूमि के किसी भी भू–भाग को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध कोई प्रकरण कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री पारित होने के उपरान्त ही प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं है। प्रार्थी के पिता मूल सिंह ने पूर्व में उक्त अविभाजित कृषि आराजी बाबत् अप्रार्थी सं0 1 व अन्य के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं0 05/2003 मूल सिंह बनाम भंवर सिंह वगै0 प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2003 को अस्वीकार किया गया जिसकी प्रार्थी के पिता द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित निरस्त करने का निवेदन किया।

3.2 अप्रार्थी सं0 6 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2021 को अपनी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाया उसकी प्रमाणित प्रति की प्रति अप्रार्थी सं0 6 को उपलब्ध नहीं करवाई गई है तथा प्रति प्राप्त होने के पश्चात् ही जवाब प्रस्तुत किया जायेगा। अप्रार्थी सं0 6 का प्रार्थी की भूमि से कोई लेना देना नहीं है।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्राथी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी को उक्त कृषि आराजी बाबत् धमकिया देते है तथा कब्जा करने की कोशिश करते है। प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2021 को अपनी कृषि आराजी का सीमाज्ञान भी करवाया है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कब्जा शुदा काश्त आराजी की सुरक्षा के लिए पत्थरगढ़ी करवा कर उपरोक्त कृषि आराजी की सुरक्षा करना चाहता है। प्रकरण कारण दिनांक 12.03.2021 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थी के उपरोक्त पड़ौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि आराजी में जानबूझकर अवैध पशुओं को प्रार्थी की आराजी में चराने हेतु भेजने का प्रयास किया तथा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

प्रकरण कारण उस दिनांक को भी उत्पन्न हुआ जब दिनांक 01.06.2021 को पुलिस जाप्ता के साथ प्रार्थी की कृषि आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया तब अप्रार्थीगण के द्वारा सीमाज्ञान का विरोध किया तब से प्रकरण कारण लगातार सतत् है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर आये दिन प्रार्थी से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा करते रहते है। अतः प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि आराजी जो प्रार्थी के उपयोग उपभोग में है के पत्थरगढ़ी आदेश जारी करने का निवेदन किया।

4.2 वकील अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजी एक मात्र प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की नहीं है वरन् राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थी तथा अन्य सहखातेदार नीलू राठौड़, मदन सिंह व सूरज कंवर के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की अविभाजित कृषि आराजी है। अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की संयुक्त कृषि आराजी के कब्जे काश्त में कभी भी बाधा कारित नहीं की है। दिनांक 01.06.2021 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के बाद प्रार्थी कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा ख0नं0 1387/777 का विधि अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है। दिनांक 12.03.2021 को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा ख0नं0 1387/777 की भूमि के किसी भी भू–भाग को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया है, अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध कोई प्रकरण कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री पारित होने के उपरान्त ही प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं है। प्रार्थी के पिता मूल सिंह ने पूर्व में उक्त अविभाजित कृषि आराजी बाबत् अप्रार्थी सं0 1 व अन्य के विरूद्ध धारा 212 राजस्थान काश्तकारी धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र सं0 05/2003 मूल सिंह बनाम भंवर सिंह वगै0 प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2003 को अस्वीकार किया गया जिसकी प्रार्थी के पिता द्वारा कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा सहित निरस्त करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 1387/777 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टेयर प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है। सलंग्न राजस्व मानचित्र नक्शा जिसमें ख0नं0 1387/777

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

क्षेत्रफल 1.6180 का स्पष्ट अंकन है। चूंकि इस प्रकरण में अन्य सहखातेदार विपक्षी संख्या 8, 9 व 10 द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है तथा सम्पूर्ण खसरे की पत्थरगढ़ी से किसी भी सहखातेदार के अधिकार में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। लिहाजा न्यायालय हाजा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना न्यायोचित मानता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को 2000/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी ख0नं0 1387/777 क्षेत्रफल 1.6180 हैक्टयर भूमि का राजस्व मानचित्र/जमाबन्दी में वर्णित क्षेत्रफल अनुसार सम्बन्धित पक्षकारान् कि उपस्थिति में सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा कराने पर पालना हेतु तहरीर जारी होवे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08/09/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)